हुक्म का कार्यवाही

तारीख हुक्म	
17/1/22	वादी अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 अ.प्र.सं. प्रस्तुत करते पत्रावली प्रस्तुत की गई पत्रावली का अवलोकन किया गया कि उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण किया कि उक्त प्रार्थी के पत्र के सही होने की वापसी हेतु के पत्र को सही होने की वापसी हेतु के पत्र को सही होने की वापसी हेतु के पत्र को निरस्त किया जाता है। अतः उपरोक्त परिस्थिति के मद्देनजर वादी अभिभाषक द्वारा पत्र को वापस किये जाने के पत्र पत्र की स्थान पर इसी स्थान के अंकित किया जाता है। नकल पत्र के अभिभाषक को प्रस्तुत करने की छूट दी जाती है। वादी अभिभाषक ने अग्रिम कार्यवाही पत्र प्रस्तुत करने हेतु पत्रावली नियत तारीख प्रस्तुत करने हेतु नियत की

उप खण्ड अधिकारी
अजमेर